

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, कुशीनगर


सं० /जि०आ०अधि०/कुशीनगर/व्यवस्थापन/2018-19/दिनांक- अप्रैल, 20²⁰, 2018.

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या 9528-9592/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19/इलाहाबाद 19.04.2018 के अनुपालन में तृतीय चरण के पश्चात् वर्ष 2018-19 हेतु जनपद की अवशेष देशी शराब की 05 फुटकर दुकानों का चतुर्थ चरण में ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाना है जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक एम०जी०क्यू० (36 प्रतिशत वी०/वी० में)	वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस(रु०में)	वर्ष 2018-19 हेतु धरोहर घनराशि (रु०में)	वर्ष 2018-19 हेतु प्रतिभूति घनराशि (रु०में)	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटकईयां	ग्रामीण	421200	11793600	1179360	9350640	17550000
2	नरसर चौराहा	ग्रामीण	50760	1421280	142128	1126872	2115000
3	भावपुर	ग्रामीण	77220	2162160	216216	1714284	3217500
4	बोंसी	ग्रामीण	112320	3144960	314496	2493504	4680000
5	बडहरा चौराहा	ग्रामीण	60264	1687392	168740	1337861	2511000

इसके लिए <http://upexciseelottery.gov.in> (जिस पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है) पोर्टल रजिस्ट्रेशन करते हुए दिनांक 20.04.2018 के साथ 05:00 बजे से 24.04.2018 को रात्रि 11:30 बजे तक आन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं तथा इनकी ई-लाटरी दिनांक 28.04.2018 को प्रातः 09:00 बजे (जनपद के लिए यथा निर्धारित) स्थान कलेक्ट्रेट सभागार रविन्द्रनगर घूस में सम्पन्न की जायेगी।


 (राजेश कुमार मिश्र)
 जिला आबकारी अधिकारी,
 कुशीनगर।


 19/4/18
 (डा० अनिल कुमार सिंह)
 जिलाधिकारी,
 कुशीनगर।

सं० 148-150 /तददिनांकित।

- प्रतिलिपि- 1- दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 20.04.2018 के संस्करण में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 2- जिला विज्ञान सूचना अधिकारी कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को आबकारी आयुक्त के उपरोक्त उल्लिखित पत्र के निर्देश के क्रम में जनपद के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- 3- क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दुकानों का शत प्रतिशत व्यवस्थापन सुनिश्चित करायें।


 जिला आबकारी अधिकारी,
 कुशीनगर